

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
संख्या-583 / XV-1 / 07(3)2022
देहरादून : दिनांक 10 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति 2020" के अन्तर्गत इच्छुक 02 युवा पेशेवर जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही योजनाओं और परियोजनाओं के अनुश्रवण, मुल्यांकन कार्य/सर्वेक्षण, सामान्य कार्यालय कार्यों के निष्पादन में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।

1. इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सचिव, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन के सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के पंचम तल के पते पर दिनांक 31.05.2022 को सांय 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा उपलब्ध करा दें, तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।
2. विज्ञापन का पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट www.ahd.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

(डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
सचिव

नोट: इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु दूरभाष संख्या 0135-2532809 पर किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड

एतद्वारा पशुपालन विभाग में परियोजनाओं के मूल्यांकन, अध्ययन तथा कार्यालय के सामान्य कार्य एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति 2020 के अन्तर्गत ग्यारह माह के लिए दो युवा पेशेवरो हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं—

आवश्यक दिशा निर्देश—

1. युवा पेशेवरो के कार्य किये जाने की अवधि ग्यारह माह निर्धारित है।
2. युवा पेशेवर कार्यक्रम के अधीन, आवेदको के लिए निम्न मानदंड निर्धारित किये गये हैं। सभी युवा पेशेवरों के लिए आवश्यक है कि वे—
 - क. भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि धारक (न्यूनतम 50 प्रतिशत) धारक हो:
 - परन्तु, प्राप्तांक, राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (न्यूनतम 45 प्रतिशत)।
 - ख. श्रेष्ठता की गणना स्नातक व परास्नातक में प्राप्त अंको तथा कार्य अनुभव के आधार पर की जायेगी। विशेष कार्य अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।
 - ग. विज्ञापन की तिथि को आयु 22 से 30 वर्ष के मध्य हो।
 - घ. योजनाओं और परियोजनाओं के अनुश्रवण, मूल्यांकन कार्य/सर्वेक्षण, सामान्य कार्यालय कार्यों के निष्पादन करने में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।
 - ङ. युवा पेशेवर को हिन्दी, अंग्रेजी, कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान आवश्यक होगा।
3. आवेदक के विरुद्ध पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही न होने तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही लम्बित न होने का स्व प्रमाणित प्रमाणपत्र आवेदन के साथ उपलब्ध कराना होगा।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच (Scrutiny) के उपरान्त अर्हलाभार्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक को डाक/ई-मेल के द्वारा सूचना दी जायेगी (अतः आवेदक ई-मेल को निरन्तर रूप से चेक करे)।
5. साक्षात्कार में चयनित आवेदको को सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध होने का सम्पादन के दौरान किसी विपरीत कार्यों में संलग्न पाये जाने/कार्यों में शिथिलता पाये जाने की स्थिति में युवा पेशेवर को कभी भी हटाया जा सकता है।
6. युवा पेशेवर द्वारा निर्धारित अवधि पूरा न करने पर युवा पेशेवर को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
7. चयनित अभ्यर्थी/युवा पेशेवर को प्रतिमाह रु० 35,000/- (रु० पैंतीस हजार) की एक टोकन वृत्ति का मासिक रूप से निर्धारित है। यदि कोई पेशेवर मध्य में ही, अर्थात् सत्र (11 माह) के पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है तो वह अवशेष वेतन तथा प्रमाण पत्र का हकदार नहीं होगा।
8. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति 2020 में उल्लिखित "युवा पेशेवरो के दायित्वो" का निर्वहन किया जाना होगा।

9. युवा पेशेवर को निर्दिष्ट कार्यों के अन्तर्गत किये जाने वाले क्षेत्र कार्य (Field work) हेतु टी0ए0/डी0ए0 क्रमशः रू० 100 तथा रू० 200 प्रतिदिन देय होगा।
10. आवेदक अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर Annexure B पर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन पंचम तल विश्वकर्मा भवन, सचिवालय देहरादून के पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
11. आवेदनो को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार पशुपालन विभाग के पास सुरक्षित होगा।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में पशुपालन निदेशालय, मोथेरावाला, देहरादून के दूरभाष संख्या 0135-2532809 से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

(डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
सचिव

“मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर (संशोधन) नीति, 2020” के तहत
आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पत्राचार हेतु पता :
4. स्थाई पता :
5. ई-मेल :
6. मोबाईल नम्बर :
7. जन्मतिथि :
8. शैक्षिक योग्यता :

अभ्यर्थी की स्वः
प्रमाणित फोटोग्राफ

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	प्राप्तांक/ प्रतिशत	विषय

9. युवा पेशेवर अवधि :
10. अनुभव (यदि कोई हो) :
11. आपने युवा पेशेवर का चयन क्यों किया है (चयनित सेक्टर के सम्बन्ध में अधिकतम 100 शब्दों का उल्लेख पृथक पृष्ठ में संलग्न करें) :
12. आवेदक, अपनी दो फोटो, आधारकार्ड की छाया प्रति तथा विश्वविद्यालय/संस्थान का परिचय पत्र (अध्ययनरत् होने की स्थिति में) संलग्न करेगा।
13. आवेदक इस आशय का स्वः प्रमाणित घोषणा पत्र संलग्न करेगा कि उसके विरुद्ध सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कोई दण्डात्मक

(2)

कार्यवाही नहीं की गयी है तथा उसके विरुद्ध कोई पुलिस कंस नहीं है।

14. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की "मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड पेशेवर (संशोधन) नीति, 2020" के अन्तर्गत किसी भी विभाग/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य नहीं किया गया है।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

(आवेदक का नाम)

INTERNSHIP COMPLETION CERTIFICATE

(To be given on the Departmental Letter Head)

Dated: <Date>

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that <Mr./Ms.> _____ S/o/D/o
W/o _____ has successfully completed his/her Internship work in
_____ scheme/project of the _____ Department of Uttarakhand
Government from dated _____ to _____. During the period of his/her Internship program
with us his/her performance has been rated as _____ (Excellent/Very Good/Good).

We wish him every success in his/her life and career.

(Signatory)

Name of Department